P-1 R.M.M. Law college - Saharsa.
Manvendra Mandal
part time Lecturer

Subject - Hindu Marrage Act
Part - I

विवाह का पंजीकरण व उससे लाभ (धारा-8)

जब विवाह से सम्बन्धित वाद न्यायालय में आता है तो उसमें सबसे पहले यह साबित करना जरूरी है कि दोनों पक्षकारों का वैध विवाह हुआ। चूँकि अधिनियम में विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराने से सम्बन्धित प्रावधान इस धारा में किया गया है, किन्तु इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अतः विवाह सिद्ध करने के लिए अन्य साक्ष्य की आवश्यकता होती है। वैसे धारा 8 में कोई भी हिन्दू दम्पति अपने विवाह का पंजीकरण करा सकता है। जो भी तथ्य रजि० में अन्तर्विष्ट होंगे वे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में पढ़े जा सकेंगे। इस प्रकार यदि विवाह को हिन्दू विवाह रजिस्टर में पंजीकृत किया गया हो तो विवाह को सिद्ध करने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि रजिस्टर में मौजूद प्रविष्टि इस बात की साक्ष्य होगी कि पक्षकारों में विवाह अनुष्ठापित हुआ था। चूँकि हिन्दू समाज में विवाह पंजीकरण को अपनाने में पक्षकार अभी भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अतः सरकार ने विवाह का धारा 8 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य नहीं बनाया। यदि विवाह का पंजीकरण धारा 8 में नहीं किया गया तो इस बात का सिद्धि भार आवेदक पर होगा कि विवाह का अनुष्ठापन पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। उदाहरणार्थ यदि किसी पुरुष द्वारा धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन हेतु अपनी पत्नी के विरुद्ध याचिका दायर की जाती है और पत्नी ऐसे किसी विवाह को स्वीकार न करे तो ऐसी सूरत में पति पर सिद्धि भार है कि उसका विवाह कथित स्त्री जिसे वह पत्नी कहता है के साथ अनुष्ठापित हुआ था। यदि विवाह का पंजीकरण किया गया होता तो सम्बन्धित प्रविष्टि की प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल की जा सकती थी जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती और इस प्रकार विवाह को आसानी से सिद्ध किया जा सकता था, लेकिन जहाँ विवाह का रजिस्ट्रीकरण न करवाया गया हो वहाँ यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देना होता है कि विवाह रीति एवं कर्मकाण्ड के अनुसार अनुष्ठापित किया गया है। परन्तु मालती दासी बनाम जयहरिपाल के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल मात्र धारा 8 में विवाह का पंजीकरण करने से धारा 494 भारतीय दण्ड संहिता में

Scanned with CamScanner

P-2 विवाह का पंजीकरण व उससे लाभ

दण्डित नहीं किया जा सकता अपितु ऐसे विवाह को अन्य साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध करना आवश्यक है। शाह जी बनाम गोपीनाथ के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने हिन्दू विवाह को सिद्ध करने में धारा 8 के अन्तर्गत विवाह को पंजीकृत करने में सुविधा का उल्लेख करते हुए मत व्यक्त किया कि राज्य सरकार हिन्दू विवाह को पंजीकृत करने में समय-समय पर नियम बनाने में सक्षम है। चूँकि महिला आयोग द्वारा भी विवाह पंजीकृत को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया है और हर प्रदेश में इस प्रकार का नियम बनाया जाये जिससे महिलाओं के वैवाहिक उत्पीड़न को रोकने में सुविधा मिलती है।

कमलाकान्त पाण्डुरंग बनाम सुशील पाण्डुरंग के मामले में उच्च न्यायालय बम्बई ने हिन्दू विवाह के पंजीकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि विवाह के पंजीकरण में सदा लाभ होता है और यदि किसी नियम में अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करने पर भी यदि विवाह किसी कारण पंजीकृत नहीं किया जाता तो उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अधिनियम की धारा 8 (5) के अन्तर्गत कोई भी अलग से बनाया गया नियम हिन्दू विवाह के पंजीकृत न करने पर उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता।

The end